UPSB050006632018

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, सोनभद्र।
पीठासीन :– सूरज मिश्रा, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
प्रकीर्ण वाद संख्या–02/2018
सी.एन.आर.नम्बर–यूपीएसबी050006632018

1. गोपी पुत्र कालीचरन
2. फौजदार पुत्र काशी

समस्त निवासी हिन्दूआरी, पगरना बड़हर, तहसील राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र।

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. जयपतिया पत्नी स्व0 रामधनी
2. रामप्रताप पुत्र रामधनी

समस्त निवासी हिन्दूआरी, पगरना बड़हर, तहसील राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र।

...........विपक्षीगण

–:निर्णय:–

प्रस्तुत वाद प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2 ए जा0दी0 की कार्यवाही अमल हेतु संस्थित किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहे गये कथन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी नं0–84अ व आ0नं0–84ब स्थित मौजा हिन्दुआरी, पगरना बड़हर, तहसील राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र व उसके पश्चिम स्थित भूमि के बाबत विपक्षी सं0–1 द्वारा सिविल वाद न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो मूलवाद सं0–21/1992 श्रीमती जयपतिया बनाम गोपी वगैरह विचाराधीन है। उक्त मूलवाद में प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादी सं0–1 व 5 पक्षकार कायम किया गया है। मूलवाद उपरोक्त में न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.01.92 व 09.02.95 के अनुसार उभय पक्षों को मौके पर यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश अभी भी प्रभावी है जिसकी बखूबी जानकारी विपक्षीगण को है। विपक्षी सं0–1 द्वारा प्रस्तुत मूलवाद सं0–21/92 श्रीमती जयपतिया बनाम गोपी वगैरह की नक्शा नजरी में

आराजी नं0—84अ व आ0नं0—84ब के पश्चिम तरफ स्थित भूमि जिसे सड़क पटरी के रूप में वादिनी द्वारा जाहिर किया गया है, में दिनांक 08 अक्टूबर से 12 अक्टूबर सन् 2004 में लगभग सोलह फीट चौड़े व 33 फीट लम्बे भू भाग पर विपक्षी सं0—1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया गया है तथा उक्त अवैध कब्जा सुदा भूमि में हुए अवैध पक्के निर्माण में आये दिन उसमें परिवर्तन किया जा रहा है जो आज भी जारी है। विपक्षी सं0—1 जयपतिया विपक्षी सं0—2 राम प्रताप की मां है तथा दोनों सम्मिलित रूप से रहते हैं और विपक्षी सं0—1 के नाम की समस्त चल—अचल जायदाद की देखरेख उपयोग उपभोग विपक्षी सं0—1 की सहमति से करते है। विवादित भूमि में पक्का निर्माण विपक्षी सं0—1 व 2 की सहमति व संयुक्त रूप से आ0नं0—61ख मी. में किया व कराया गया है तथा उसका उपयोग उपभोग भी विपक्षी सं0—1 व 2 संयुक्त रूप से करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 27.01.92 व 09.02.95 की अवहेलना की जा रही है विपक्षीगण न्यायालय आदेश को मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निवेदन किया गया है कि विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2ए जा0दी0 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर विपक्षीगण को दण्डित किया जाये।

प्रार्थना पत्र 3क के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा आपत्ति 18ग दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र बिल्कुल असत्य, मनगढ़ंत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। मुकदमा नं0—21/92 में दिनांक 27.01.92 को अन्तरिम आदेश नियत तिथि तक पारित किया गया और दिनांक 09.02.95 को दोनों पक्षों के सुनवाई के पश्चात दौरान मुकदमा उभय पक्षों को विवादित जायदाद पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया है। आपत्तिकर्तागण द्वारा मकान अपने चक आराजी नं0—84 अ एवं 84ब में निर्मित किया गया है। हरगिज आपत्तिकर्तागण द्वारा विवादित जायदाद में कोई निर्माण नहीं किया गया है। कथन मुन्दर्ज प्रार्थना पत्र—3 कि ''आराजी नं0—84अ व आ0नं0—84ब के पश्चिम तरफ स्थित भूमि जिसे सड़क पटरी के रूप में वादिनी द्वारा जाहिर किया गया है, में दिनांक 08 अक्टूबर से 12 अक्टूबर सन् 2004 में लगभग सोलह फीट चौड़े व 33 फीट लम्बे भू भाग पर विपक्षी सं0—1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का

निर्माण कर लिया गया है तथा उक्त अवैध कब्जा सुदा भूमि में हुए अवैध पक्के निर्माण में आये दिन उसमें परिवर्तन किया जा रहा है जो आज भी जारी है।'' बिल्कुल असत्य मनगढ़ंत व आपत्तिकर्ता को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी सं0—1 विपक्षी सं0—2 पुत्र है आ0नं0—84अ एवं 84ब की मालिक विपक्षी सं0—1 है। चूंकि विपक्षी संख्या—1 काफी वृद्ध हो चुकी है दौड़ भाग नहीं कर पाती, लेहाजा जमीन जायदाद की देखभाल विपक्षी सं0—2 ही करता है। हरगिज आपत्तिकर्तागण का निर्माण आराजी नंबर 61ब मी में नहीं है। आपत्तिकर्तागण द्वारा आदेश दिनांक 27.01.92 व 09.02.95 का कभी अवहेलना नहीं किया गया है। आपत्तिकर्तागण द्वारा आदेश का बराबर सम्मान किया जा रहा है और भविष्य में किया जाता रहेगा। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

प्रार्थीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में 6ग सूची से 7ग प्रश्नोत्तरी, 8ग/1 ता 8ग/4 आख्या एडवोकेट कमिश्नर, वाद सं0—21/92 की छायाप्रति, साक्ष्य सूची 41ग से 42ग/1 ता 42ग/ 6 नकल निर्णय दिनांक 30.01.2012 की प्रति, 43ग/1 ता 43ग/2 नकल आदेश दिनांक 23.02.2012 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश ई.सी.पी, सोनभद्र सी.ए. 21/2012 गोपी बनाम जयपतियां आदि की प्रति, 44ग/1 ता 44ग/4 अमीन रिपोर्ट न्यायालय द्वितीय, अपर जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र सी.ए. 21/2012 गोपी बनाम जयपतियां आदि की प्रति, 45ग/1 ता 45ग/3 नकल अपील का0सं0—3क न्यायालय द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र, सी.ए. 21/2012 गोपी बनाम जयपतियां आदि की प्रति दाखिल की गयी है। मौखिक साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा पी0डब्लू0—1 के रूप में गोपी व पी0डब्लू0 2 के रूप में फौजदार परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 30ग से 31ग उद्धरण खतौनी, 32ग जोत चकबंदी आकार पत्र 45 की छायाप्रति, 33ग भू मानचित्र, 34ब भू मानचित्र, 35ग/1 ता 35ग/ 3 मेडिएशन आदेश पत्र एवं अन्य की छायाप्रति, 35ग/4 ता 35ग/ 6 प्रकीर्ण वाद सं0—4 सन् 2007 के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, 37ग खसरा की छायाप्रति

दाखिल की गयी है। विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू0–1 रामप्रताप व डी0डब्लू0 2–गनेश को परीक्षित कराया गया है।

इसके अतिरिक्त अमीन आख्या मय नक्शा नजरी 12क पत्रावली पर उपलब्ध है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

पी.डब्लू.–1 गोपी ने अपनी मुख्य परीक्षा जरिए शपथ पत्र 20क में अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों का शपथ पर समर्थन किया है।

उक्त साक्षी से विपक्षीगण द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि जयपतिया के खेत का नम्बर उसे नहीं मालूम है। जयपतिया के खेत के पश्चिम जो आराजी है उसका नंबर उसे नहीं मालूम है। जयपतिया का जो मकान है वह सड़क से 20फीट की दूरी पर है। उसके मुकदमे में जॉच करने के लिए कोई अदालत से गया था कि नहीं उसे नहीं मालूम है। जॉच करने वाले आदमी क्या रिपोर्ट दिये हैं उसे नहीं मालूम है। और उस अमीन रिपोर्ट कागज सं0–12ग पर कोई उसने आपत्ति नहीं दिया है। जयपतिया का मकान कितना वर्ष पुराना होगा उसे नहीं मालूम है। जयपतिया का मकान 20–25 फीट उत्तर दक्षिण तथा 10 फीट पूरब पश्चिम में बना है।

पी.डब्लू.–2 फौजदार ने अपनी मुख्य परीक्षा जरिए शपथ पत्र 21क में अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों का शपथ पर समर्थन किया है।

साक्षी पी.डब्लू.–2 से विपक्षीगण द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि जयपतिया ने जो मुकदमा उन लोगों के विरूद्ध दाखिल किया है वह जयपतिया के पक्ष में डिक्री हो गया है। उसका उन लोगों ने अपील दाखिल किया है, जयपतिया का मकान आ0नं0–61ख में बना है। जयपतिया का मकान सड़क के मध्य से 10फीट की दूरी पर बना है। जयपतिया के जमीन का नंबर 84 है। जयपतिया का मकान 40फीट उत्तर दक्षिण तथा 30फीट पूरब पश्चिम में बना है। जयपतियां का मकान सन् 2007 में बना है। यह आ0नं0–61 व 84 के संबंध में कोई पक्की पैमाइस नहीं कराया है। उसका मकान ईंट की दीवाल से बना है जिसका छाजन खपरैल का है। उसका मकान 29 फीट उत्तर दक्षिण है तथा 20फीट पूरब पश्चिम है। पत्रावली में अमीन रिपोर्ट

मौके की आयी है। अमीन रिपोर्ट सही है।

डी.डब्लू.–1 रामप्रताप ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा है कि उसके जमीन का नंबर 84 है, उसके जमीन के पश्चिम सड़क की जमीन है। सड़क के मध्य से उसका मकान पूरब तरफ लगभग 125 फीट की दूरी पर है। उसका मकान उसके 84नंबर की आराजी में बना हुआ है। 84 नंबर में कोई स्थगन आदेश अदालत से नहीं था। बल्कि आ0नं0–61 में स्थगन था, जो उसके जमीन के पश्चिम तरफ उसके जमीन के सामने पड़ती है। गोपी व फौजदारी द्वारा उसके उपर झूठा मुकदमा दाखिल किया गया है।

साक्षी डी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह में कहा है कि उसकी माता जी ने न्यायालय में मूलवाद सं0–21/1992 दाखिल किया था। दोनों पक्षों को उसमें यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया लेकिन तारीख उसे याद नहीं है। वह आदेश मूलवाद के फैसले तक प्रभारी रहा। उक्त मूलवाद में जयपतिया की तरफ से उसने बयान दिया था। उक्त मूलवाद में निर्णय को उसने नहीं पढ़ा है। उक्त मूलवाद में उसके लिए मकान हटाने का कोई आदेश नहीं है। उसका मकान सन् 2007 में बना है उसकी दीवाल ईंट से व छाजन खपरैल का है। वह उत्तर दक्षिण 25–30 फीट व पूरब पश्चिम 10–11 फीट हैं वह एक कमरा है,उसके मकान का निकास पश्चिम तरफ सड़क पर है। मूलवाद व कन्टेम्प्ट के सभी मुकदमों को मिलाकर मौका मुआइना हेतु अमीन 3–4 बार गये हैं अमीन जब गये हैं वह मौजूद नहीं था। उसके मकान के दक्षिण तरफ किसी का मकान है नाम नहीं मालूम है तथा उत्तर तरफ गोपी व उनके परिवार का मकान है, उसके मकान के उत्तर–दक्षिण जो मकान है वह 1992 में बना,जब मुकदमा शुरू हुआ। उसके मकान के दक्षिण तरफ 3–4 मकान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा किया है। वही लोगों का मकान है। मेन सड़क के मध्य से उसका मकान लगभग 125 फीट की दूरी पर है, वह नापा नहीं है, अदांज से बता रहा है। विपक्षीगणों का मकान सड़क के मध्य से लगभग 45–50 फीट की दूसरी पर है। पक्की सड़क कितनी चौड़ी व पटरी कितनी चौड़ी है वह नापा नहीं है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का निर्माण हो चुका है। सड़क के पटरी के बाद नाली बनी हुई है। सड़क के पूरब तरफ नाली बनी हुई है। नाली व सड़क के बीच पटरी है, नाली–3–4

फीट चौड़ी है। वह नाली विपक्षीगण गोपी वगैरह के मकान से दक्षिण तरफ है।

साक्षी डी.डब्लू.–2 गनेश ने अपनी मुख्य परीक्षा जरिए सशपथ कहा है कि जयपतिया का मकान जो वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर है उसको उसने देखा है। वह हिन्दुआरी ग्राम सभा में है। जयपतिया के मकान के पूरब व उत्तर तथा दक्षिण खेती होती है और पश्चिम तरफ से निकल कर सड़क पर जाते है। जयपतिया का मकान सड़क के मध्य से लगभग 125 फीट की दूरी पर है तथा सड़क की पटरी से लगभग 90फीट की दूरी पर है। जयपतिया के मकान की दीवाल ईंट की है तथा छाजन खपरैल का है। यह मकान लगभग 20वर्ष पुराना है।

साक्षी डी.डब्लू.–2 ने अपनी जिरह में कहा है कि जयपतिया के मकान की दूसरी सड़क से वह नापा नहीं है। अंदाज से बताया है। जयपतिया के मकान के उत्तर तरफ गोपी का मकान है, दक्षिण तरफ झारखण्डी का मकान है। जयपतिया का मकान उनके लड़के राम प्रसाद ने मिलकर बनाया है की नहीं, वह नहीं बता सकता। जयपतिया की उम्र इस समय लगभग 80–90 वर्ष है। जयपतिया का खेतीबारी राम प्रसाद करते हैं। जयपति के मकान के उत्तर–दक्षिण करीब 10 मकान बने हैं यह 10 मकान बताया है वह सड़क के मध्यम से करीब 10फीट की दूरी पर है। दूरी वह नापा नहीं है। अंदाज से बता रहा है। जयपतिया व गोपी के मध्य जो मुकदमा चला उसकी जानकारी उसे है। अदालत के अमीन कई बार नाप जोख करने गये हैं लेकिन मौके पर वह एक ही बार था। अमीन के नाप जोख पर उसने अपना हस्ताक्षर नहीं बताया था। नाप जोख के समय वह स्वयं गया था। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का चौड़ीकरण विवादित स्थल के पास करीब 3–4 वर्ष पहले हो चुका है। अलकतरा वाले सड़क की चौड़ाई एक तरफ करीब 20फीट होगी। पटरी की चौड़ाई लगभग 5फीट होगी। नाली की चौड़ाई लगभग 4 फीट होगी। नाली के पूरब तरफ जयपतिया व गोपी वगैरह का मकान है। गोपी वगैरह का मकान आज से करीब 25वर्ष पहले बना है। जयपतिया का मकान 30फीट लम्बा व 10फीट चौड़ा है। जयपतिया के मकान के उत्तर तरफ गोपी व दक्षिण झारखण्डी का मकान सटा हुआ है। जयपतिया का मकान किस सन में बना है वह नहीं बता सकता। जयपतिया के मकान के सामने की

सड़क वाली नाली है।

प्रार्थीगण गोपी आदि के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा0दी0 के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न पर अपना निष्कर्ष देना है–

1. क्या मूलवाद सं0–21/1992 श्रीमती जयपतिया बनाम गोपी आदि में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 27.01.92 व 09.02.95 के माध्यम से विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था?
2. यदि हॉ तो क्या विपक्षीगण को न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांकित 27.01.92 व 09.02.95 की भलि–भांति जानकारी थी?
3. क्या जानकारी होने के बावजूद विपक्षीगण द्वारा दौरान मुकदमा विवादित स्थल पर निर्माण आदि करके न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.01.92 का उल्लंघन किया गया?

<u>अवधारणीय प्रश्न संख्या–1 पर निष्कर्ष</u>

इस अवधारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदक द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि मूलवाद सं0–21/1992 में दिनांक 27.01.1992 तथा 09.02.1995 को उभय पक्षों को दौरान मुकदमा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था जिसकी विपक्षीगण को पूरी जानकारी थी किन्तु विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में आदेश का उल्लंघन करते हुए दौरान मुकदमा 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य लगभग 16 गुणे 30फीट चौडे भू भाग पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया गया है और उक्त निर्माण में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। उक्त निर्माण विपक्षीगण सं0–1 व 2 द्वारा न्यायालय के आदेश की बखूबी जानकारी होने के उपरान्त आपसी सहमति से संयुक्त रूप से आ0सं0–61ख में किया गया है। डी.डब्लू.–1 विपक्षी रामप्रताप ने भी अपने मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि आ0सं0–61 में न्यायालय का स्थगन था जो उसकी जमीन आ0सं0–84 के पश्चिम तरफ पड़ती है। इस साक्षी ने अपने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी माता को न्यायालय में मूलवाद <u>सं0–21/92</u> दाखिल किया था और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार स्वयं विपक्षी के मौखिक साक्ष्य से प्रकट है कि

उसे न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की जानकारी थी।

पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद सं0–21/92 के संबंध मे प्रश्नोत्तरी 7ग दाखिल की गयी है जिसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.92 व 09.02.95 को उभय पक्षों को मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर मूलवाद सं0–21/92 के अन्तिम निर्णय की प्रति 42ग भी उपलब्ध है जिसके अनुसार उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2912 को अंतिम निर्णय किया गया है और यह प्रार्थना पत्र 3 क प्रार्थीगण गोपी आदि द्वारा दिनांक 22.03.2007 को प्रस्तुत किया गया था इससे प्रकट है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को भी न्यायालय का उक्त आदेश प्रभावी था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य भलि–भांति साबित है कि सक्षम न्यायालय द्वारा मूलवाद सं0–21/92 में दिनांक 27.01.92 तथा 09.02.95 को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश उभय पक्षों के विरूद्ध पारित किया गया था और यह भी तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तिथि तक उक्त आदेश प्रभावी था।

अवधारणीय प्रश्न संख्या–2 पर निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण द्वारा अपने आपत्ति का0सं0–18ग में यह स्वीकार किया गया है कि मु0सं0–21/92 में दिनांक 27.01.92 को अंतरिम आदेश नियत तिथि तक के लिए पारित किया गया था और दिनांक 09.02.95 को दोनों पक्षों को सुनवाई के पश्चात् दौरान मुकदमा उभय पक्षों को विवादित जायदाद पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया था। यह भी कहा गया है कि आपत्तिकर्तागण द्वारा आदेश का बराबर सम्मान किया जाता रहा और कभी भी उक्त दोनों आदेश की अवहेलना नहीं की गयी। इस प्रकार स्वयं विपक्षीगण के उपरोक्त अभिकथन से यह प्रकट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.95 को उभय पक्षों को सुनकर दौरान मुकदमा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की पुष्टि की गयी थी। इससे यह स्वयं में स्पष्ट है कि न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.01.02 तथा 09.02.95 की भलि–भाति जानकारी विपक्षीगण को थी।

अवधारणीय प्रश्न संख्या–3 पर निष्कर्ष

इस अवधारणीय प्रश्न के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 3ग में यह कहा गया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.92 तथा 09.02.95 के कायम बहाल रहने के बावजूद तथा इसकी जानकारी विपक्षीगण को होने के बाद भी उनके द्वारा विवादित भूमि सड़क पटरी जो कि विपक्षीगण की आ0सं0–84अ व 84ब के पश्चिम तरफ स्थिति है पर दिनांक 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2004 के बीच 16 फीट चौडा और 33 फीट लम्बे भू भाग पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया गया और उक्त अवैध पक्के निर्माण में आये दिन परिवर्तन किया जा रहा है जो कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय भी जारी था। यह भी कहा गया है कि विपक्षी सं0–1 जयपतिया विपक्षी सं0–2 रामप्रताप की मां है और दोनों संयुक्त रूप से रहते हैं। विपक्षी जयपतिया की समस्त चल–अचल सम्पत्ति देखभाल विपक्षी सं0–2 रामप्रताप ही करते हैं और दोनों के द्वारा आपसी सहमति से विवादित भूमि आ0सं0–61ख मि0 सड़क पटरी पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा अपनी आपत्ति 18ग में यह कहा गया है कि उनके द्वारा अपना मकान अपने चक आ0सं0–84अ व 84ब में निर्माण किया गया है उनके द्वारा अवैध भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया है तथा उनका कोई निर्माण आ0सं0–61ख में नहीं है। उनके द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 27.01.92 व 09.02.95 की कोई अवहेलना नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों के सम्बंध में प्रार्थीगण की ओर से पी.डब्लू.–1 गोपी ने अपने मुख्य परीक्षा में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का शपथ पर समर्थन किया है। जिरह में उसने कहा है कि जयपतिया के खेत का नंबर उसे नहीं मालूम। जयपतिया के खेत के पश्चिम जो आ0सं0 है उसका नंबर भी उसे नहीं मालूम। जयपतिया का मकान सड़क से 20फीट की दूरी पर है। न्यायालय से कोई मौके की जांच करने गया उसे नहीं मालूम। उसने अमीन रिपोर्ट 12क पर कोई आपत्ति नहीं दिया है। जयपतिया का मकान कितने वर्ष पुराना है उसे नहीं मालूम। इस प्रकार प्रार्थी गोपी के ही बयान से प्रकट हो रहा है कि मौके की स्थिति की उसे स्पष्ट जानकारी नहीं है और वह यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि जयपतिया का जो मकान बना है वह आ0सं0–61ख में बना, 84अ व ब में बना है। पत्रावली पर अमीन रिपोर्ट पर गोपी की आपत्ति 47ग दाखिल है

किन्तु इस आपत्ति के संबंध में भी गोपी द्वारा कोई जानकारी न होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आपत्ति का समर्थन नहीं किया है। पी. डब्लू.–2 फौजदार ने भी अपने मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र में अपने प्रार्थना पत्र के कथन का शपथ पर समर्थन किया है। जिरह में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो मुकदमा उन लोगों के विरूद्ध जयपतिया ने दाखिल किया था वह जयपतिया के पक्ष में डिक्री हो गया है। उन लोगों ने अपील दाखिल किया है। इस साक्षी ने यह कहा है कि जयपतिया का मकान आ0सं0–61ख पर बना है, जयपतिया का मकान सड़क के मध्य से 10 फीट की दूरी पर बना है। जयपतिया के जमीन का नंबर 84 है। जयपतिया का उक्त मकान 2007 में बना है। यह आ0सं0–61 व 84 के संबंध में कोई पक्की पैमाइश नहीं करायी गयी है। उसका मकान ईट की दीवाल से बना है जिसका छाजन खपरैल का है। पत्रावली में अमीन रिपोर्ट मौके की आयी है और अमीन रिपोर्ट सही है। इस प्रकार प्रार्थी पी. डब्लू.–2 फौजदार ने अपने जिरह में यह तो कहा है कि जयपतिया का मकान आ0नं0–61ख में तथा वर्ष 2007 में बना है किन्तु उसने यह कहा कि पत्रावली पर जो अमीन रिपोर्ट आयी है वह मौके के हिसाब से सही है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अमीन रिपोर्ट का0सं0–12क/1 ता 12क/2 मय नक्शा नजरी उपलब्ध है। उक्त अमीन रिपोर्ट में यह दर्शित किया गया है कि वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग के पूरब तरफ सड़क पटरी के बाद आ0नं0–84अ व ब में ए,बी,सी,डी से अक्षरांकित भाग पर जयपतिया का पक्का मकान 34फीट गण 16 फीट 10इंच पर निर्मित है और उक्त मकान वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से दूरी लगभग 90 फीट है। यह भी दर्शित किया गया है कि मुख्य मार्ग तथा विपक्षीगण जयपतिया आदि के मकान के मध्य सड़क पटरी व खाली जमीन आ0सं0–61क व 61ख है उसी भाग में प्रार्थीगण गोपी आदि का मकान कच्चा व पक्का बना हुआ है। यह भी कहा गया है कि जयपतिया का उक्त मकान 1–2 वर्ष पुराना प्रतीत हो रहा है जबकि यह रिपोर्ट 03.04.2007 को अदालत अमीन द्वारा तैयार की गयी है और स्वयं प्रार्थी फौजदार द्वारा अपने बयान में इस अमीन रिपोर्ट को सही होना बताया है तथा प्रार्थी गोपी द्वारा जो आपत्ति दाखिल की गयी है उसका समर्थन उसने अपने बयान में नहीं किया है। इस प्रकार अमीन रिपोर्ट का0सं0.–12क पर प्रार्थीगण द्वारा कोई

आक्षेप साबित नहीं किया जा सका है और इससे यह प्रकट है कि स्थलीय निरीक्षण के समय जयपतिया का मकान आ0सं0–61ख सड़क पटरी पर नहीं मौजूद था।

डी.डब्लू.–1 विपक्षी रामप्रताप ने अपने मुख्य परीक्षा में अपने आपत्ति का समर्थन किया है और उसने कहा है कि उसका मकान आ0सं0–84 में बना है। आ0सं0–84 के संबंध में कोई स्थगन आदेश अदालत से नहीं था। स्थगन आदेश आ0सं0–61 के संबंध में था जो उसकी जमीन के पश्चिम तरफ पड़ती है। अपने जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि उसकी माता ने न्यायालय में मूलवाद सं0–21/92 दाखिल किया था जिसमें दोनों पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया जो फैसले तक प्रभावी रहा। उक्त मूलवाद के निर्णय को उसने नहीं पढ़ा है। उक्त मूलवाद में उसके लिए मकान हटाने का कोई आदेश नहीं है। उसका मकान सन् 2007 में बना है, उसकी दीवाल ईंट से व छाजन खपरैल का है। आगे कहा है कि मेन सड़क के मध्य से उसका मकान 125 फीट की दूरी पर है, विपक्षीगण (गोपी आदि) का मकान सड़क के मध्य से लगभग 45–50 फीट की दूरी पर है। उनका मकान तथा उसकी जमीन के बीच नाली है। इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त बयान में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि जयपतिया आदि का मकान सड़क पटरी आ0नं0–61ख पर निर्मित हो। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसका मकान सड़क पटरी से लगभग 125 फीट की दूरी पर है और गोपी आदि का 45–50 फीट की दूरी पर। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि आवेदकगण के मकान जमीन के पश्चिम में गोपी आदि का मकान ही बना है जो कि सड़क पटरी की भूमि है। डी.डब्लू.–2 गनेश ने भी अपने बयान में यह कहा है कि जयपतिया का मकान सड़क के मध्य से लगभग 125 फीट की दूरी पर तथा सड़क पटरी से लगभग 90 फीट की दूरी पर है और लगभग 20वर्ष पुराना मकान है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जयपतिया के मकान के उत्तर गोपी का मकान तथा दक्षिण झारखण्डी का मकान है, उत्तर तरफ 8–10 मकान तथा दक्षिण तरह भी 10 मकान बने हैं किन्तु इस साक्षी के इस बयान से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जयपतिया के मकान के उत्तर दक्षिण वाले मकान के बारे में जो बयान दिया जा रहा है वह किस समय में बने जयपतिया के

मकान के उत्तर दक्षिण की स्थिति बता रहा है अर्थात इस अवमानना प्रार्थना पत्र पेश करने के पूर्व की अथवा बयान देने के समय की। इसलिए इससे कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस साक्षी ने अपने बयान अथवा जिरह में यह नहीं कहा है कि जयपतिया आदि का कोई मकान सड़क पटरी वाली आराजी पर बना हो। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से भी आवेदकगण के दावे को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत मामले में अमीन अदालत की रिपोर्ट 12क मय नक्शा नजरी प्रस्तुत है जिसमें वाराणसी–शक्तिनगर मुख्य सड़क के पूरब में बिलकुल सटे आवेदकगण गोपी आदि का मकान व कुछ सरकारी खाली जमीन दर्शित की गयी है और उसके पूरब में आ0नं0–84अ व 84ब में विपक्षीगण जयपतिया आदि का छाजन खपैरल वाला पक्का मकान दर्शित किया गया है जिसका दरवाजा सड़क पटरी की ओर स्थित दिखाया गया है। यह अदालत अमीन की रिपोर्ट दिनांक 03.04.2007 को मौके पर किये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर बनायी गयी है और प्रस्तुत वाद आदेकगण गोपी आदि द्वारा दिनांक 22.03.2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार यह प्रकट है कि जब यह प्रकीर्ण वाद अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा0दी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उस समय विवादित स्थल पर जयपतिया आदि का कोई मकान सड़क पटरी वाली आ0सं0–61ख पर निर्मित नहीं था, यह तथ्य अमीन रिपोर्ट 12क से स्पष्ट हो रहा है। अमीन रिपोर्ट के विरूद्ध आवेदकगण की ओर से आपत्ति अवश्य प्रस्तुत की गयी है किन्तु स्वयं आवेदकगण द्वारा अपने बयान में इस आपत्ति का समर्थन नहीं किया गया है और उनके स्वयं के साक्ष्य से भी उनके प्रार्थना पत्र को स्पष्ट समर्थन नहीं मिल रहा है। आवेदकगण को यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित करना था कि मूलवाद में पारित यथास्थिति के आदेश के उपरान्त विपक्षीगण जयपतिया आदि द्वारा विवादित स्थल पर नवनिर्माण किया गया जिससे इस प्रकीर्ण कार्यवाही के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ, किन्तु अमीन अदालत की रिपोर्ट 12क से यह प्रकट है कि इस प्रकीर्ण कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय ऐसा कोई निर्माण जयपतिया आदि का मौके पर नहीं था।

आवेदकगण की ओर से अपने तर्क के दौरान मूलवाद में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 जिसकी प्रमाणित प्रति का0सं0–42ग है, के

आधार पर यह कहा गया है कि उक्त निर्णय में वादिनी जयपतिया आदि का भी अवैध निर्माण आ0सं0–61ख पर पाया गया और उन्हें भी उक्त निर्माण कों हटाने का आदेश किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त मूलवाद में आयी अमीन आख्या दिनांक 23.11.2007 में भी जयपतिया आदि का पक्का मकान विवादित स्थल पर दर्शित किया गया है जो कि प्रमाणित प्रति का0सं0–44ग के रूप में पत्रावली पर मौजूद है। उक्त तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि मूलवाद सं0–21/92 में जो अमीन रिपोर्ट 44ग प्रस्तुत हुई है वह दिनांक 11.10.2007 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत है। यदि यह मान भी लिया जावे कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर जयपतिया आदि का पक्का निर्माण विवादित स्थल पर बना था तो भी उक्त रिपोर्ट से यह प्रकट नहीं है कि जयपतिया आदि का वह निर्माण कब किया गया जबकि यह प्रकीर्ण कार्यवाही दिनांक 22.03.2007 को आरम्भ की गयी थी इसलिए कार्यवाही आरंभ होने के पूर्व ही आवेदकगण को वाद कारण उत्पन्न होना चाहिए था और अमीन अदालत की रिपोर्ट दिनांकित 23.11.2007 इस कार्यवाही के लगभग 8 माह पश्चात की है। ऐसी दशा मे ंयह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जयपतिया आदि का निर्माण यदि कोई मौके पर था भी तो वह प्रकीर्ण कार्यवाही के आरंभ होने के पूर्व का था अथवा दिनांक 22.03.2007 से 23.11.2007 के मध्य निर्मित किया गया था। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा मूलवाद में पारित निर्णय दिनांकित 30.01.2012 में जो निष्कर्ष दिये गये हैं वे इस प्रकीर्ण कार्यवाही आरम्भ होने के लगभग 5वर्ष पश्चात् दिया गया है और उनके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि इस प्रकीर्ण कार्यवाही के लिए 22.03.2007 के पूर्व ही आवेदकगण को वाद कारण उत्पन्न हो चुका था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसा कोई निर्माण इस प्रकीर्ण कार्यवाही के आरम्भ के दिनांक 22.03.2007 के पूर्व विवादित स्थल पर रहा होता तो न्यायालय अमीन की आख्या 12क में उसका उल्लेख अवश्य होता, किन्तु ऐसा कोई उल्लेख अमीन आख्या 12क में नहीं है। इसी प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि आवेदकगण अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर सके कि विपक्षीगण जयपतिया आदि द्वारा यथास्थिति के आदेश की

जानकारी होने के बावजूद विवादित स्थल पर कोई निर्माण करके न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना की गयी जिसके उपरान्त इस कार्यवाही के लिए आवेदकगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ।

उपरोक्त अवधारणीय प्रश्नों के अन्तर्गत किये गये विवेचन और दिये गये निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि आवेदकगण अपने अभिकथन विपक्षीगण के विरूद्ध साबित करने में सफल नहीं रहे हैं और यह तथ्य न्यायालय के सामने प्रमाणित नहीं हो सके हैं कि इस प्रकीर्ण कार्यवाही के आरम्भ होने के दिनांक 22.03.2007 के पूर्व विपक्षीगण जयपतिया आदि द्वारा विवादित स्थल सड़क पटरी आ0सं0—61ख पर कोई निर्माण करके न्यायालय की यथास्थिति के आदेश दिनांक 27.01.92 व 09. 02.95 का जानबूझकर उल्लंघन किया गया। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 3ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3क अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा0दी0 निरस्त किया जाता है। आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांकः 24.02.2021

(सूरज मिश्र)
सिविल जज सीनियर डिवीजन
सोनभद्र।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 24.02.2021

(सूरज मिश्र)
सिविल जज सीनियर डिवीजन
सोनभद्र।

Digitally signed by Suraj Mishra
Date: 2021.03.09 11:24:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court,Sonbhadra